आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –17 / 2023
पुनम देवी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
13.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 15275 / 2018 में दिनांक–20.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के आपूर्ति अपील वाद सं0–132 / 2016 में दिनांक 22.06.2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश में अंकित है कि :– **"The petition is accordingly, dismissed, but with an observation that in case revision petition is filed by the petitioner within a period of 30 days, the same shall be taken up for consideration and after giving reasonable opportunity to the petitioner to present her cause, a final order shall be passed within a period of 60 days thereafter, giving reasons in support of the same."** वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार कुछ उपभोक्ताओं के शिकायत के आधार पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रीगा ने दिनांक 22. 07.2016 को 12:30 बजे अपराह्न में विक्रेता के दुकान की जाँच की एवं जाँच में पायी गयी अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक 307 दिनांक 03.08.2016 से पुनरीक्षणकर्ता से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की। जाँच में दुकान बंद पाया जाना, विक्रेता द्वारा अपने उपभोक्ताओं को दो माह के अंतराल पर खाद्यान्न का	

WEB COPY NOT OFFICIAL

वितरण किया जाना, राशन कार्ड पर प्रत्येक माह खाद्यान्न आपूर्ति करने से संबंधित प्रविष्टि कर जबरन कूपन दो माह का फाड़ लिया जाना, उपभोक्ताओं को आपूर्ति किये चावल की गुणवता सही नहीं होना तथा दुकान का संचालन स्वयं नहीं कर दुसरे अनाधिकृत व्यक्ति (श्री कृष्णनंदन साह) से दुकान का संचालन करवाना जैसे अनियमितता प्रतिवेदित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का विक्रेता पर लगे आरोप के संबंध में कहना है कि जाँच के दिन उनके परिवार में किसी सदस्य की तबियत खराब हो जाने के कारण वे (SKMCH) चले गये थे, जिस कारण दुकान बंद थी। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विक्रेता द्वारा प्रतिमाह खाद्यान्न का वितरण किया जाता है जो उनके राशन कार्ड के प्रविष्टि से भी स्पष्ट है। अनाधिकृत व्यक्ति से दुकान के संचालन के संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विक्रेता ने इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतिनिधि के रूप में (श्री कृष्णनंदन साह) को रखे थे। वादी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि दुकान से संबंधित सभी पंजी विक्रेता द्वारा उपस्थापित भी किया गया था, फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने इनके (विक्रेता) अनुज्ञप्ति को अपने आदेश दिनांक 16.11.2016 से रद्द कर दिया जो गलत है। साथ ही वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी दावा है कि समाहर्त्ता, सीतामढ़ी ने भी वादी के द्वारा अपने अपीलवाद में उठाए गये तथ्यों पर विचार किये बगैर आदेश पारित कर दिया, जो गलत एवं खारिज होने योग्य है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर के अनुसार वादी को 02.09.2016 द्वारा साक्ष्य के रूप में वांछित कागजात उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था परंतु दिनांक 16.11.2016 तक विक्रेता द्वारा अपने जन वितरण प्रणाली दुकान से संबंधित वांछित अवधि का भंडार एवं वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने वादी से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाते

WEB COPY NOT OFFICIAL

हुए विक्रेता के अनुज्ञप्ति को रद्द किया है एवं समाहर्त्ता ने अपने मुखर आदेश से वादी के अपील आवेदन को अपने आदेश दिनांक 22.06.2018 से अस्वीकृत किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

पुनरीक्षणकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ता की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के पूर्व उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की कार्रवाई की गयी है तथा निम्न न्यायालय द्वारा अपने मुखर आदेश से पुनरीक्षणकर्ता की अपील अस्वीकृत की गयी है, जिससे प्रस्तुत मामले में निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक/वैधानिक त्रुटि नहीं है।

वादी को उनके विद्वान अधिवक्ता, विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी के विद्वान अधिवक्ता ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि जाँच के दिन परिवार के किसी सदस्य की तबियत खराब हो जाने के कारण अस्पताल चले गये थे जिस कारण दुकान बंद थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ''बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 उक्त नियमावली के नियम 14(xii) में स्पष्ट अंकित है कि ***अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचि–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूचि 09 में अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य के दुकान के कारोबार मे सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते है।*** निर्धारित अवधि में हर हाल में दुकान खुली रखना है। उक्त प्रावधान भी इसीलिए बनाया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी को अपने दुकान से संबंधित कार्य यथा बैंक–ड्राफ्ट,

WEB COPY NOT OFFICIAL

खाद्यान्न का उठाव, विभागीय बैठक तथा कोई आवश्यक कार्य आ जाने पर उनके प्रतिनिधि (अनुज्ञप्तिधारी के) उपस्थित रहे एवं उपभोक्ताओं को किसी तरह असुविधा न हो। जहाँ तक वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि श्री कृष्णनंदन साह को प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत करवा लिया गया था, इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये पहचान–पत्र के संबंध में कहना है कि उनके द्वारा (वादी के विद्वान अधिवक्ता) जो पहचान–पत्र उपलब्ध कराया गया है वह पहचान–पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबोधित मात्र एक आवेदन है जबकि पहचान–पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार अनुज्ञप्ति पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी होते है, जो **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम 14 (xii)** में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध (पहचान–पत्र) में वादी के द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष कोई दावा (पहचान–पत्र) में प्रस्तुत नहीं किया गया है और अब इस पुनरीक्षणवाद में इनके द्वारा नया तथ्य लाया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा निर्धारित अवधि में दुकान बंद रखना, उपभोक्ताओं को दो माह के अंतराल पर खाद्यान्न का वितरण करना एवं राशन कार्ड में प्रत्येक माह के खाद्यान्न आपूर्ति का प्रविष्टि करना तथा अपने स्पष्टकीरण के साथ सक्षम पदाधिकारी द्वारा वांछित पंजी की मांग किये जाने पर उसे उपलब्ध नहीं कराना **''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम 14(i), (iii) (viii), (x) एवं 25 (i)** के नियम के प्रतिकूल है एवं **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01** में पारित न्यायादेश के उल्लंघन का हो जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त।	

WEB COPY NOT OFFICIAL